प्रेस नोट

दिनांक- 25.10.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 121,000 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 17/18 धारा 302,307,34,भादवि0 व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जगदीशपुर के अभियुक्तगण 1 वंशराज यादव पुत्र जगदम्बा निवासी लालीपुर हुसैन गंज कला थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी 2 सतीश कुमार उर्फ सतई पुत्र बावू लाल निवासी रामशाला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी 3 अमित चौबे पुत्र विन्ध्याचल चौबे निवासी हुसेपुर थाना इकमा जनपद छपरा बिहार को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्तगणो को आज दिनांक 25.10.2024 को धारा 302 भादवि मे सश्रम आजीवन कारावास व 100,000 रू0 अर्थदण्ड, धारा 307 भादवि में प्रत्येक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपया अर्थदण्ड, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में प्रत्येक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपया अर्थदण्ड एंव 3/25 आर्म्स एक्ट में प्रत्येक को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01वर्ष अतिरक्त साधारण कारावास की सजा सुनाय़ी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग वादी मुकदमा श्री अंसार अहमद पुत्र मुख्तार अहमद निवासी हुसैनगंज कला थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 30.01.2018 समय 13.27 बजे उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र को बम तथा गोली से मार कर हत्या कर देने की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 17/18 धारा 302,307,34,भादवि0 व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जगदीशपुर पर पंजीकृत होकर विवेचक निरीक्षक श्री श्याम सुन्दर द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए- 102 दिनांक 01.05.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।